रजिस्टर्ड नं० एस० 478

सरकारी गजट उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, वृहस्पतिवार 24 अगस्त, 1972

भाद्रपद 3, 1894 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

नियोजन अनुभाग—4

संख्या 16(एस) 72—122

लखनऊ 24 अगस्त, 1972

संकल्प

राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर नियोजन प्रक्रिया को व्यापक एवं सुदृढ़ करने के लिये एक राज्य योजना आयोग की स्थापना का निश्चय किया है । राज्य योजना आयोग का गठन इस प्रकार है—

मुख्य मंत्री	.. ..	अध्यक्ष
वित्त मंत्री	.. ..	उपाध्यक्ष
राज्य नियोजन मंत्री	.. ..	सदस्य
श्री ए० सी० मित्रा, प्रमुख अभियंता (अवकाश प्राप्त)	..	सदस्य
डा० गोपाल त्रिपाठी, उपकुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	..	सदस्य
डा० आर० वी० सिंह, प्रिंसिपल, के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ	..	सदस्य
श्री डी०पी० सिंह, उप-कुलपति, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर	..	सदस्य
श्री रामेश्वर प्रसाद नेवटिया	.. ..	सदस्य
मुख्य सचिव	.. ..	सदस्य
अध्यक्ष, राज्य विद्युत् परिषद्	.. ..	सदस्य
वित्त सचिव	.. ..	सदस्य
प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग	.. ..	सदस्य
नियोजन सचिव	.. ..	सदस्य सचिव ।

(कृषि विशेषज्ञ व अर्थशास्त्री के नामों की घोषणा अलग से की जायेगी ।)

2—गैर सरकारी सदस्यों की सदस्यता-अवधि 2 वर्ष होगी, पर इस अवधि में अथवा पदेन सदस्यों में [illegible] द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा । राज्य योजना आयोग के निम्नलिखित कार्य होंगे:—

(1) राज्य के विभिन्न प्रकार के संसाधनों (भौतिक, वित्तीय एवं जन-शक्ति) का अनुमान लगाना तथा राज्य के विकास में इनके सर्वोत्तम उपयोग के बारे में सुझाव देना ;

(2) राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं के साथ राज्य की आवश्यकताओं, संसाधनों एव क्षमता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रवार और कार्यक्रमवार अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनायें बनाना ;

(3) राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में बाधक कारणों को इंगित करना तथा योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु उनका समाधान ढूंढना ;

(4) राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का सुझाव देना ;

(5) आयोजनागत कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना ;

6) नियोजन एवं विकास की प्रणाली में आवश्यक संशोधन इंगित करना; तथा

(7) ऐसे अन्य कार्य, जो राज्य सरकार द्वारा सुपुर्द किये जायं ।

3—नियोजन विभाग, राज्य योजना आयोग का सचिवालय होगा ।

4—राज्य नियोजन परिषद्, जिसका गठन संकल्प संख्या 12 (एस०पी०बी०) 71, दिनांक 3 सितम्बर, 1971 द्वारा किया गया था, को आयोग के गठन की तिथि से समाप्त किया जाता है ।

आज्ञा से,
त्रिभुवन प्रसाद,
आयुक्त एवं सचिव,
नियोजन ।

पी० एन० यू० पी०—ए० पी० 203 गजट (हिन्दी)—1972—1,967—203 (मे०) ।